(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 23/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 12.04.2024 निर्णय दिनांक : 16.07.2024

1. भौरा पुत्र गणेश
2. सरदारा पुत्र गणेश
3. जलेसिंह पुत्र हनुमान पौत्र गणेश
4. सोणाराम पुत्र हनुमान
5. मुकेश पुत्र हनुमान पौत्र गणेश
6. हंसा पत्नि पप्पूराम पौत्र गणेश
7. सचिन पुत्र पप्पूराम पौत्र हनुमान प्रपौत्र गणेश

समस्त जातियान जाट निवासीयान ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.। –प्रार्थीगण

बनाम

1. बलबीर पुत्र नथ्या उर्फ नाथा
2. शिवलाल पुत्र मुखराम पौत्र नाथा
3. बनवारी पत्र मुखराम पौत्र नाथा
4. रोहिताश पुत्र मुखराम पौत्र नाथा
5. दुर्गा पुत्र मुखराम पौत्र नाथा
6. प्रभाति पत्नि मंगल पुत्रवधु नाथा
7. सूरजा पुत्र मंगल पौत्र नाथा
8. उम्मेद पुत्र मंगल पौत्र नाथा
9. महेश पुत्र मंगल पौत्र नाथा

समस्त जातियान जाट निवासीयान ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील नारायणपुर जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।

10. उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.। –अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवानी भौरा वगै0 बनाम बलबीर वगै0 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा, श्री अनूप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री शिब्बूराम जाट अधिवक्ता अप्रार्थीगण 01 लगा. 09 की ओर से।

निर्णय दिनांक–16.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर के समक्ष प्रकरण उनवानी भौरा वगै0 बनाम बलबीर वगै0 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 की ओर से अधिवक्ता श्री शिब्बूराम जाट ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस करना जाहिर किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि यह है कि बउनवान भौरा वगै0 बनाम बलबीर वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

मे विचाराधीन है, उक्त वाद हुक्मइम्तनाई दवामी का है। दावे के साथ प्रार्थीगण ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय ने दिनाक 04.03.2024 को अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। प्रकरण मे अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रकरण में आगामी तारीख नियत होने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से मिलकर स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करवाने के फिराक में है क्योकि अप्रार्थीगण अपने राजनैतिक प्रभाव का नाजायज फायदा उठाते हुए पीठासीन अधिकारी को अपने दबाव में लेकर विचाराधीन प्रकरण को खारिज करवाकर बेचान करने व खुर्द-बुर्द करना चाहते है। अन्त मे प्रार्थीगण निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर में विचाराधीन प्रकरण बअनुवान भौरा वगै0 बनाम बलबीर वगै0 को जिला कोटपूतली-बहरोड़ के अन्यत्र न्यायालय में दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावें।

5. अप्रार्थी सं0 01 लगायत 09 की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय को मुगालते में रखकर अप्रार्थी/विपक्षीगण को बिना नोटिस जारी करवाये एवं बिना सुने एकतरफा स्थगन जारी करवाया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र केवल कयास के आधार पर बिना किसी प्रावधान के पेश कर दी है। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाये है। पीठासीन अधिकारी किसी के दबाव में नही है तथा निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से कार्यवाही कर रहे है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. पीठासीन अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर अपने बिन्दुवार जवाब में जाहिर किया है कि न्यायालय के समयानुसार प्रकरणों में प्रक्रिया अपनायी जाती है। प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्य झूठे, मनमाने, मनगढंत एवं निराधार है। पीठासीन अधिकारी द्वारा निष्पक्ष व न्याय के सिद्वान्त पर नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया अपनायी जाकर कार्य किया जाता है तथा पीठासीन अधिकारी किसी प्रकार के प्रभाव या दबाव में नही है। फिर भी उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया तथा उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर की बिन्दुवार टिप्पणी एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर की बिन्दुवार टिप्पणी तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं मनगढंत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण का मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़